प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

युगल पीठ - माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं

माननीय श्री आर.एन चंद्राकर, न्यायाधीशगण

रिट याचिका क्रमांक- 2769/2004

याचिकाकर्ता- शकुंतला जायसवाल, विधवा स्व. श्री मुन्नालाल जायसवाल,

आयु लगभग 65 वर्ष, निवासी -परशुराम वार्ड, भाटापारा,

जिला रायपुर (छ.ग)

बनाम

उत्तरवादीगण- 1. छत्तीसगढ राज्य,

द्वारा सचिव, आबकारी विभाग,

डी.के.एस भवन,रायपुर, छत्तीसगढ

2. कलेक्टर, रायपुर,

3. जिला आबकारी अधिकारी,रायपुर,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका)

उपस्थिति

याचिककर्ता की ओर से- श्री अमित वर्मा, अधिवक्ता ।

राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से- श्री यू.एन.एस देव शासकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

(24.07.2013)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश** द्वारा पीठ पर दिया गया -

(1) याचिकाकर्ता को एक होटल-बार हेतु अनुज्ञप्ति (एफ.एल-3) प्रदान किया गया था, जो दिनाँक 30.4.2003 से 31.3.2004 की अवधि के लिए था। कुछ स्थानीय निवासियों ने याचिकाकर्ता के बार के विरुद्ध आपत्ति जताई। उन्होंने संबंधित आबकारी प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में प्रारंभिक जाँच करने के पश्चात, इसे दिनाँक 22.6.2003 को आयोजित 'समाधान शिविर' में अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिला कलेक्टर, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनुज्ञापन प्राधिकारी ने निवासियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया तथा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही, दिनाँक 22.6.2003 को ही याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए उक्त अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका क्रमांक- 2178/2003 प्रस्तुत कर इस आदेश की वैधता को चुनौती दी। इस न्यायालय की एकल पीठ ने उक्त रिट याचिका को दिनाँक 18 अगस्त, 2003 को स्वीकार कर लिया। एकल न्यायाधीश ने अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2003 को अभिखंडित कर दिया। तत्पश्चात, उत्तरवादीगण द्वारा दिनाँक 31.8.2003 को बार में लगे ताले पर लगाई गई सील खोली गई। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनाँक 22.6.2003 से 31.8.2003 (जब बार सील बंद था) की अवधि के अनुज्ञप्ति फीस की राशि ₹47,916/- के प्रतिदाय हेतु दिनांक 25.9.2003 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने एक माह के अनुज्ञप्ति फीस के रूप में **₹20,833/-** का भी दावा किया, क्योंकि याचिकाकर्ता को एफ.एल-3 अनुज्ञप्ति दिनांक 30.4.2003 को दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार, उक्त अनुज्ञप्ति उसे दिनांक 1.4.2003 से मिलना चाहिए था अर्थात दिनांक 1.4.2003 से 31.3.2004 तक के पूरे वित्तीय वर्ष हेतु)। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने कुल **₹68,749/-** की राशि के प्रतिदाय का दावा किया।

(2) जब उपरोक्त अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किया जा रहा था, तब याचिकाकर्ता ने रिट याचिका क्रमांक-809/2004 प्रस्तुत किया, जिसे एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.6.2004 को इस निर्देश के साथ निराकृत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर विचार किया जाए और उसका यथाशीघ्र निर्णय किया जाए, अधिमानतः उक्त आदेश की प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर, तथा नियमानुसार जो भी देय राशि पाई जाए, उसका भुगतान याचिकाकर्ता को किया जाए।

(3) तत्पश्चात, अनुज्ञापन प्राधिकारी ने दिनांक 13.7.2004 को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे एतस्मिनपश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 31 (3) के प्रावधानों के आलोक में याचिकाकर्ता बार बंद होने की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रतिदाय की हकदार नहीं थी। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता एक माह अर्थात दिनांक 1.4.2003 से दिनांक 30.4.2003

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

की अवधि हेतु फीस के प्रतिदाय की भी हकदार नहीं थी, क्योंकि बार खोलने के लिए अनुज्ञप्ति फीस स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 26.4.2003 को जमा किया गया था और उसके पश्चात ही उन्हें अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त आदेश की वैधता को चुनौती दिया है और 12% वार्षिक दर से ब्याज के साथ ₹68,749/- के प्रतिदाय हेतु किया है।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित वर्मा ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति अधिनियम की धारा 31 (1) में वर्णित किसी भी शर्त के उल्लंघन के कारण रद्द नहीं किया गया था, इसलिए,फीस के प्रतिदाय का मामला अधिनियम की धारा 31 (3) के प्रावधानोंकी गई थी अवलंब द्वारा शासित नहीं होगा। उन्होंने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत थी, इसलिए, अधिनियम की धारा 32 (3) के तहत उक्त अनुज्ञप्ति फीस याचिकाकर्ता को प्रतिदाय किया जाना था।

(5) दूसरी ओर, उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री यू.एन.एस. देव ने इन तर्कों का विरोध किया और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(6) हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना है।

(7) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति आदि को रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह निम्नानुसार है:

> "31. अनुज्ञप्ति, आदि रद्द या निलंबित करने की शक्ति- (1) ऐसे निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए जैसे राज्य सरकार विहित करे, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास मंजूर करने वाला प्राधिकारी उसे रद्द या निलंबित कर सकेगा-
>
> (क) यदि उसके धारक द्वारा देय कोई भी शुल्क या फीस सम्यक् रूप से संदत्त नहीं की गई है, या
>
> (ख) यदि उसके धारक द्वारा या उसके किसी सेवक द्वारा या उसकी अभिव्यक्ति या विविक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किन्ही भी निर्बन्धनों तथा शर्तों में से किसी का भी भंग होने की दशा में, या
>
> (ग) यदि उसका धारक द्वारा या उसका कोई सेवक या उसकी अभिव्यक्ति या विविक्षित अनुज्ञा उसकी ओर से कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का सं. 2) या इंडियन

मर्चेन्डाइज मार्क्स अधिनियम, 1899 (1899) का सं. 4) या किसी भी ऐसी धारा के अधीन जो उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) में पुनः स्थापित की गई है। किसी भी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(घ) यदि उसका धारक किसी संज्ञेय तथा अजमानतीय अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया है,या

(ड.) यदि उसका धारक सागर- सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का सं. 7) की धारा 167 खण्ड (8) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के लिए दंडित किया गया है. या

(च) जहां कोई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास धारा 18 के अधीन अनुदत्त किसी पट्टे के धारक के आवेदन पर मंजूर किया गया है वहां ऐसे पट्टेदार की लिखित अध्यपेक्षा पर या

(छ) यदि अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तों में ऐसा रद्दकरण या निलंबन इच्छाधीन होने का उपबंध है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(1-ए) उप-धारा (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को रद्द या निलंबित करने वाला कोई आदेश करने के पूर्व, पूर्वोक्त प्राधिकारी प्रस्थापित कार्यवाही के कारण लेखबद्ध करेगा उसके धारक को उनका एक संक्षिप्त विवरण देगा तथा उसे सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास उप-धारा (1) के खण्ड (क) खण्ड (ख) खण्ड (ग) या खण्ड (ड.) के अधीन रद्द कर दिया जाता है, वहां पूर्वोक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन या आबकारी आगम से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन या अफीम अधिनियम 1878 (1878 का 1) के अधीन ऐसे व्यक्ति को मंजूर की गई किसी भी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास को रद्द कर सकेगा।

(3) किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का धारक उसके रद्दकरण या निलंबन के लिए न तो किसी प्रकार का और न ही उसके संबंध में संदत्त की गई फीस या निक्षेप के प्रतिदाय का हकदार नहीं होगा।

(4) जहां उप-धारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (ड.) के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द या निलंबित कर दी जाती है वहां-

(क) उस अतिशेष कालावधि के लिए जिसमें ऐसी अनुज्ञप्ति ऐसे रद्द या निलंबित किए जाने की दशा में चालू रहती, देय फीस भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी से आबकारी राजस्व के तौर पर वसूल की जा सकेगी,

(ख) कलेक्टर अनुज्ञप्ति को अपने प्रबंध में ले सकेगा या, भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी की जोखिम और हानि पर उसका पुनर्विक्रय कर सकेगा, किन्तु ऐसे प्रबंध या पुनर्विक्रय से प्राप्त किया गया कोई भी लाभ जो ऐसी कालावधि के लिए खण्ड (क) के अधीन वसूल की गई रकम से अधिक नहीं है, भूतपूर्व अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त किया जाएगा।

(8) धारा 31 के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्ति रद्द करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को दी गई शक्ति का प्रयोग कुछ शर्तों के अधीन किया जाना है जिनका उल्लेख खंड (क) से (छ) में किया गया है। यदि धारा 31 की उपधारा (1) में वर्णित उपरोक्त शर्तों में से कोई भी शर्त मौजूद प्रतीत होती है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात उसकी अनुज्ञप्ति रद्द करने का हकदार होगा; और यदि अनुज्ञप्ति उपरोक्त उल्लंघन के आधार पर रद्द किया जाता है, केवल तभी, धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास का धारक इसके रद्दीकरण या निलंबन के लिए किसी मुआवजे का, और न ही इसके संबंध में भुगतान किए गए किसी फीस या जमा की गई राशि के प्रतिदाय का हकदार होगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि अनुज्ञप्ति का रद्दीकरण धारा 31(1) के तहत था, इसलिए, याचिकाकर्ता धारा 31 की उपधारा (3) के अनुसार किसी भी धन के प्रतिदाय का हकदार नहीं था।

(9) आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता को अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया था, इसलिए उपरोक्त कार्रवाई की गई थी, जिसके कारण याचिकाकर्ता धारा 31 की उपधारा (3) के तहत फीस के प्रतिदाय का हकदार नहीं है। आक्षेपित आदेश का उपरोक्त भाग तथ्यात्मक रूप से सही प्रतीत नहीं होता है। अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2003 से यह दर्शित होता है कि क्षेत्र की महिलाओं ने याचिकाकर्ता के होटल-बार के संबंध में कुछ आपत्तियां उठाई थीं और यह भी पाया गया था कि बार के पास एक मंदिर था, और इन्हीं दो आधारों पर याचिकाकर्ता को दी गई अनुज्ञप्ति रद्द कर की गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि, यह न तो याचिकाकर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन का मामला था, न ही उनको दी गई अनुज्ञप्ति धारा 31 में निहित किसी भी शर्त के आधार पर रद्द किए जाने योग्य था, और न ही यह याचिकाकर्ता द्वारा किसी नियम के उल्लंघन, जो प्रमाणित हो, का मामला था। याचिकाकर्ता की अनुज्ञप्ति केवल क्षेत्र के निवासियों द्वारा दिये गए अभ्यावेदन के आधार पर और बार के पास मंदिर स्थित होने के कारण रद्द की गई थी। हमारा यह मत है कि मामले के उपरोक्त

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के अनुज्ञप्ति के रद्दकरण को अधिनियम, 1915 की धारा 31(1) के तहत की गई कार्रवाई के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है; इसलिए, धारा 31 की उपधारा (3) के प्रावधान याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होंगे और अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 31(3) के प्रावधानों का अवलंब लेकर याचिकाकर्ता को फीस के प्रतिदाय से इनकार करना न्यायोचित नहीं था।

(10) अधिनियम, 1915 की धारा 32 अनुज्ञापन प्राधिकारी को अनुज्ञप्ति वापस लेने की शक्ति प्रदान करती है। यह प्रावधान करती है कि जब कभी उस प्राधिकारी का, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की है यह विचार हो कि धारा 31 में विनिर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी भी कारण से ऐसी अनुज्ञप्ति वापस ले ली जाए, तो वह उसके संबंध में पंद्रह दिन के लिए देय फीस के बराबर रकम की छूट देगा तथा या तो-(क) ऐसे करने के अपने आशय की पंद्रह दिन की लिखित सूचना की अवधि समाप्त हो जाने पर, या (ख) सूचना के बिना तत्काल, ऐसी अनुज्ञप्ति वापस ले सकेंगा। धारा 32 की उपधारा (3) यह प्रावधान करती है कि जब उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति वापस ले ली जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके संबंध में अग्रिम में संदत्त की गई कोई फीस या किए गए किसी निक्षेप का प्रतिदाय सरकार को शोध्य रकम (यदि कोई हो) की कटौती करने के पश्चात् उसे वापस कर दिया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि विधि में किसी कार्रवाई का निर्धारण या वर्गीकरण केवल प्राधिकारी द्वारा उपयोग की गई नाम पद्धति के आधार पर नहीं किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन इसके सार के आधार पर किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, अनुज्ञप्ति किसी व्यतिक्रम के कारण रद्द नहीं किया गया था और रद्दीकरण धारा 31 के तहत नहीं था। यद्यपि अनुज्ञापन प्राधिकारी ने अस्पष्ट रूप से 'रद्दीकरण' जैसे शब्द का उपयोग किया है, किंतु वास्तव में उनकी कार्रवाई यह दर्शाती है कि यह अधिनियम की धारा 32 के तहत अनुज्ञप्ति का प्रत्याहरण मात्र था, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति विद्यमान नहीं थी जिस पर धारा 31 के प्रावधान लागू होते। हमारा यह मत है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक था कि वह सरकार को देय राशि (यदि कोई हो) की कटौती करने के पश्चात, बार बंद होने की अवधि सम्बंधित अनुज्ञप्ति फीस का प्रतिदाय करे।

(12) अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों के होते हुए भी, अन्यथा भी, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22.6.2003 को आदेश पारित कर की गई कार्रवाई धारा 31 (1) के अंतर्गत नहीं थी, जैसा कि हमारे द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, तो इसका परिणाम यह होगा कि याचिकाकर्ता उपरोक्त अवधि के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रतिदाय की हकदार होगी।

(13) याचिकाकर्ता ने दिनाँक 30.4.2003 से 31.3.2004 तक की अवधि के लिए अनुज्ञप्ति फीस के रूप में ₹2,50,000/- जमा किए थे। अतः वह बार बंद होने की अवधि, अर्थात दिनाँक 22.6.2003 से 31.8.2003 तक के लिए अनुज्ञप्ति फीस के प्रतिदाय की हकदार थी, जिसका निर्धारण उपरोक्त अवधि के लिए ₹2,50,000/- के कुल फीस के आधार पर किया जाएगा।

(14) जहाँ तक एक माह, अर्थात दिनाँक 1.4.2003 से 29.4.2003 के बीच की अवधि के फीस के प्रतिदाय से संबंधित तर्क का प्रश्न है, याचिकाकर्ता इसके लिए दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता को अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु उसने अनुज्ञप्ति फीस दिनाँक 26.4.2003 को ही जमा किया था। इस प्रकार, अनुज्ञप्ति का प्रदान किया जाना स्वयं उसके पक्ष में दिनाँक 26.4.2003 को या उसके तत्काल बाद देय हुआ। इसलिए, वह इससे पूर्व की किसी भी अवधि के लाभ का दावा नहीं कर सकती है।

(15) पूर्वोक्त कारणों के आधार पर, यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दिनांक 13.7.2004 का आक्षेपित आदेश, जहाँ तक वह बार बंद होने की अवधि के अनुज्ञप्ति फीस के प्रतिदाय से संबंधित है, अपास्त किया जाता है। उत्तरवादीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 22.6.2003 से 31.8.2003 (बार बंद होने की अवधि) के लिए अनुज्ञप्ति फीस की गणना करें और दिनांक 31.8.2003 से वसूली तक 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के साथ उक्त राशि याचिकाकर्ता को प्रतिदाय करें।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(16) उत्तरवादीगण अपना-अपना वाद-व्यय स्वयं वहन करेंगे तथा वे याचिकाकर्ता के वाद-व्यय का भी वहन करेंगे।

सही/- सही/-

सुनील कुमार सिन्हा आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By------------------------ Uttara Shrivastava